496

न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

20रु. COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित/विलोपित Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित/विलोपित

R 5005 II/17

Rs. 30/-

1– श्रीमती लोल्ला वेवा पत्नी श्री मनबोहरा गडारी उम्र 60 वर्ष पेशा गृहणी

2– केश राम पाल पिता मोहली पाल उम्र 54 वर्ष पेशा कृषि

3–जय प्रकाश पिता रामरूचि पटेल उम्र 32 वर्ष पेशा कृषि

4– जगजाहिर पाल तनय श्री मोहली पास उम्र 63 वर्ष पेशा कृषि 5– राजेन्द्र पटेल तनय श्री रामसुरूचि पटेल उम्र 38 वर्ष पेशा कृषि

6– रामविमलेश पटेल तनय श्री आशाराम पटेल उम्र 36 वर्ष

7– रामसुरूचि पटेल तनय स्व रामगोपाल पटेल उम्र 65 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम नवगवां तह0 मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

द्वारा श्री रामानुजा सिंह
वारी.द्वारा पेश 16-1-17

---- निगरानी कर्ता गण

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प रीवा

बनाम

जगदीश पटेल तनय सीताशरण पटेल उम्र 56 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम नवगवा तह0 मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

-- गैर निगरानीकर्ता

पुनरीक्षण विरूद्व श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील मानपुर के प्र0क0 521/अ–19 (4)/ 89–90 में पारित आदेश दिनांक 30–04–89

पुननिरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 (1) म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य निगरानी के निम्न है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-5005-दो/2017 जिला-उमरिया

श्रीमती लोल्ला आदि विरूद्ध जगदीश पटेल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामउजागार उपस्थित । 3. यह निगरानी तहसीलदार मानपुर, जिला-उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 521/अ-19(4)/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 30-04-1989 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

23/01/19

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

3

23/01/19
(आर.के. जैन)
सदस्य